25. अनुसंधान प्रोत्साहन

आईएमएक्स संस्थान के डॉ वीरेंद्र स्वरुप ने कहा, "हम उच्च शिक्षा के संस्थान बनने के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही दिलचस्प नीतियां चाहते थे।" "कुछ 20 साल पहले संस्थान के शुरुआती वर्षों में, गर्मी की छुट्टियां अनिवार्य थीं, और कार्यालय में उस अवधि में अनुसंधान और साहित्य विकास जैसे उद्देश्य के लिए काम करने के लिए के बदले में कोई प्रतिपूरक छुट्टी नहीं दी जाती थी। ऐसी प्रतिपूरक छुट्टी की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब कोई (शैक्षणिक / सामान्य प्रशासन) कर रहा हो या प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में (MDP) में कक्षाएं लेना आदि जैसे कार्य लगा हो । हालांकि, संस्थान में अनुसंधान पर जोर देने के बारे हर स्तर पर बात बहुत होती थी। केस स्टडी लिखने को अनुसन्धान का दर्जा प्राप्त था।

एक संकाय सदस्य को 6-7 मई के बीच एमडीपी में कक्षाएं लेने के लिए कहा गया था ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 अप्रैल से प्रभावी थे। एक संकाय सदस्य ने केस स्टडी लिखने के लिए समय का उपयोग करने के बारे में सोचा। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए संस्थान के निदेशक की अनुमति ली और डेटा संग्रह (Data collection) के लिए 23 अप्रैल को जाकर 1 मई के आसपास वापस आ गया। एक अन्य संकाय 29-30 अप्रैल के बीच कक्षाएं लेना था। वर्ष के अंत में प्रथम संकाय को संस्थान के काम में भाग लेने के लिए 3 1/2 दिन की प्रतिपूर्ति छुट्टी दी गई थी और दूसरे को 7 दिन, क्योंकि उन्होंने 14 दिनों (16-29 अप्रैल) तक संस्थान के कार्य में भाग लिया था (16-27 अप्रैल तक खाली बैठे रहे थे) और पहले केवल 7 दिनों के लिए संस्थान के कार्य में शामिल हुए थे। अगर वह केस स्टडी लिखने न जाते तो उन्हें ११ दिन की प्रतिपूर्ति छुट्टी मिलती क्योंकि वह तब १६ अप्रैल से ७ मई तक संस्थान का काम कर रहे होते।

जब निदेशक बदल गए तब भी नीतियां जारी रही। अगले वर्ष उस संकाय सदस्य को एमबीए अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि बैच के आकार को एक से दो खंडों में बढ़ाकर तीन गुना करना था। वह खुश था किकि चलो इस बार पूरी गर्मियों की छुट्टी में काम करने पर उसे 30 की प्रतिपूर्ति छुट्टी मिलेगी। अपनी वार्षिक कार्य योजना में उन्होंने एमबीए कार्य (जिसमें प्रवेश भी शामिल था) के अलावा वह गर्मियों की छुट्टी के दौरान वह एक संस्थान द्वारा अनुमोदित केस स्टडी अनुसन्धान परियोजना कार्य को भी पूरा करेंगे।

वर्ष के अंत में, वह छुट्टी के रिकॉर्ड में गलती से परेशान थे, केवल पंद्रह दिन की अर्जित छुट्टी दिखा रहा था। जब उन्होंने कारण पूछा कि उन्हें बताया गया कि कोई गलती नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने केस स्टडी लिखने के लिए गर्मी की छुट्टी का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया था (जिसे उन्हें सौंपा गया था), जो कि संस्थागत कार्य नहीं था। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि को एक शोध के रूप में माना जाता था और संकाय परिषद ने यह निर्णय लिया था कि संकाय पाठ्यक्रमों का संचालन करने के लिए केस स्टडी लिखना चाहिए।

कुछ समय पहले 2002 में, एक वरिष्ठ संकाय सदस्य ने भारत में विदेशी सहयोग पर एक अनुभवजन्य शोध पत्र तैयार किया था, जिसे एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए स्वीकार किया गया था। उन्हें बताया गया था कि उन्हें एक यह लिख कर देना होगा कि वह अगले 5 वर्षों तक किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने 2001 में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया

DO NOT COPY

है। समझाने की कोशिश की कि पिछली बार वे जिस सम्मलेन में शामिल हुए थे वह 1998 में था, और बाद में प्रशासनिक जिम्मेदारियों के कारण वरिष्ठ स्तर की अनुमति नहीं दी गई थी। उसके तीन वर्ष पश्चात् 2001 में वे 19999-2001 की पात्रता के अंतर्गत गए थे। तथ्य यहभी है कि उन्होंने केवल पंजीकरण शुल्क चुकाया था और कोई अन्य खर्च नहीं किया था क्योंकि वह संकाय अध्यक्ष के रूप में यूरोपीय संस्थानों के साथ विनिमय कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए गया थे।

नए संकाय अध्यक्ष को इससे कोई मतलब नहीं था। संकाय ने उपक्रम देने से इनकार कर दिया औरआईआईटी में प्रायोजित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उस शोध पत्र को प्रस्तुत किया, जहाँ उनका पत्र प्रकाशित भी हुआ। यहाँ एक और मज़ेदार बात है कि एक नए नए सहायक प्रोफेसर को दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों भाग लेने की अनुमति दी गई थी (हालांकि वे एक के लिए भी पात्र नहीं थे), शायद किसी शोध पत्र के बिना (जो कि आवश्यक था) ।

जून या जुलाई 2002 में, निदेशक ने उन वरिष्ठ संकाय से भारतीय प्रबंधन संस्थानों की वार्षिक सम्मेलन में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा क्योंकि वह कुछ व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। संकाय ने नम्रता से कहा, "मैं संस्था का प्रमुख नहीं हूं जो इस अवसर पर अनुग्रह के लिए जा सकूं। लेकिन अगर मैं एक शोध पत्र विकसित करने में सक्षम हुआ और इसे प्रस्तुति के लिए स्वीकार किया गया है, तो मैं निश्चित रूप से चला जाऊंगा"।

वह ठोस डाटा पर आधारित एक शोध पत्र विकसित करने में सफल रहे जो प्रबंधन शिक्षा की प्रभावशीलता को आगे बढ़ाने और बढ़ाने में अनुसंधान की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता था। चूंकि वह एक संगठन के लिए प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ सत्र आयोजित करने और दिल्ली से गुजरने जा रहे थे, इसलिए वह एक दिन के लिए इंस्टीट्यूट गेस्ट हाउस में शोध पत्र प्रस्तुत कियाऔर केवल गेस्ट हाउस से आयोजन स्थल तक टैक्सी से आने जाने का व्यय 500 रुपये लिया।

बाद में जनवरी 2003 में, उन्होंने गोवा में एक पर्यटन सम्मेलन में शोध पत्र पेश करने के लिए आवेदन किया। इस पत्र ने संस्थान द्वारा विषय पर आगे की सम्मेलनों के लिए भूमिका बनानी थी। लेकिन उन्हें इसमें जाने की अनुमति मिली क्योंकि यह दूसरा सम्मेलन था। संकाय अपना इरादा नहीं बदल पा रहे थे, क्योंकि संकाय अध्यक्ष और बोर्ड मेंबर रहते हुए उन्होंने संकाय को प्रोत्साहन देने ले लिए ऐसी स्तिथिओं के लिए विशेष प्रावधान बनवाए थे। वह अपने स्वयं के खर्च पर शोध पत्र प्रस्तुत करने चले गए। वह इस उदाहरण से इतना दुखी हुए कि उन्होंने यह निर्णय लिया कि जब तक यह व्यक्तिगण निदेशक और संकाय अध्यक्ष हैं, वे अपनी ऐसी किसी भी पात्रता (entitlements) का उपयोग नहीं करेंगे

किन्तु उन्होंने अनुसंधान करना, शोधपत्र लिखना और सम्मेलन में भाग लेना जारी रखा। अगले सम्मेलन में, जब उन्होंने एक और अनुभवजन्य पत्र पेश किया जो बाद में विकल्प (Vikalpa) में प्रकाशित हुआ, तो एक दिलचस्प संयोग हुआ। आईआईएमए के एक फैकल्टी एसोसिएट, जमशेदपुर से अहमदाबाद तक वायुयान से गए, निजी संस्थानों के दो संकाय सदस्य एसी द्वितीय टियर में यात्रा कर रहे थे और आईएमएक्स संस्थान के वरिष्ठ संकाय डॉ वीरेंद्र स्वरुप एसी तीसरी श्रेणी में यात्रा कर रहे थे (क्योंकि गर्मियों में पारा संभवतः 43 डिग्री से ऊपर था)। जब पूछा गया कि वह क्या वह इससे शर्मिंदा नहीं है, तो उन्होंने कहा, "कोई भी उतना

DO NOT COPY

ही शोध कर सकता है जिसका व्यय वह वह स्वयं वहन कर सकता है"। बेशक दूसरे पत्रों में से कोई भी प्रकाशित नहीं हुआ।

"यदि प्रबंधन शिक्षा के 50 सालों के बाद भी ऐसे प्रथाएं प्रचलित हैं, जो साहसी से साहसी लोगो कि हिम्मत तोड़ दे तो कब और कैसे यह संस्थान उच्च शिक्षा की संस्था बनेगा या उच्चतर शिक्षा को नई तरह से परिभाषित कर दिया जायेगाn" डॉ वीरेंद्र स्वरुप सोच में पड़े थे।

DO NOT COPY